

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०- 03, वाराणसी।

दिनांक- 08.03.2025

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की धनराशि जमा कर दी गयी है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०- 03
वाराणसी।